



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-4/2022/डी-2191

दिनांक 21-09-2022

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बीपीसी (एलपी) की बैठक 310वीं दिनांक 09.12.2021 एवं 319वीं बैठक दिनांक 24.06.2022 को जोनल विकास योजना-02 में दर्शित सड़कों के संशोधन/विलोपन के संबंध में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जोनल विकास योजना-2 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 22, 23 व 24 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में प्राधिकरण की 64वीं बैठक दिनांक 22.05.2018 द्वारा अनुमोदित है। जोनल विकास योजना-2 व अंकित नोट के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार अनुमोदित जोनल विकास योजना में भविष्य में कोई विषमता या विशेष स्थिति आने पर बीपीसी (ले-आउट प्लान) के स्तर पर आपत्ति-सुझाव आमंत्रित करके संशोधित किया जावे, उसके क्रम में जोनल विकास योजना-2 की निम्नलिखित सड़क के संबंध में बी.पी.सी. (एल.पी.) की 319वीं बैठक दिनांक 24.06.2022 के निर्णय की अनुपालना में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. एयरपोर्ट की बाउण्ड्री के साथ उत्तरी दिशा में जोनल विकास योजना की 30 मीटर चौड़ी सड़क को पूर्व में किये गये कमिटमेंट्स के आधार पर (ई से एफ) तक तथा (ई से सी) तक विलोपित करने का निर्णय लिया गया एवं जोन द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में अंकित गुलाबी रंग से प्रस्तावित (ई से सी) तक की सड़क प्रस्तावित करने का निर्णय पर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों एवं मौके पर सड़क निर्माण संभव नहीं होने के क्रम में उक्त प्रस्ताव के स्थान पर जोन उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत नवीन प्रस्ताव की एयरपोर्ट की बाउण्ड्री के उत्तरी दिशा के समानान्तर स्थित एवं प्रस्तावित जोनल विकास योजना की 30 मीटर सड़क को मार्क बिन्दु 0 से एयरपोर्ट की विद्यमान बाउण्ड्रीवाल के साथ-साथ बिन्दु एम तक 30.00 मीटर सड़क प्रस्तावित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त समस्त सड़क के संशोधन/विलोपन/अलाईनमेन्ट के प्रस्ताव का मानचित्र कार्यालय, जोन-4, जविप्रा जयपुर एवं जविप्रा वेबसाइट (www.jaipurjda.org) में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति/हितकारी/संस्था को कोई आपत्ति/सुझाव है, तो इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में अपनी आपत्ति सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा।


सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपी:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (अभियान्त्रिकी), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त (पूर्व/एलपीसी), जविप्रा, जयपुर।
6. अति. मुख्य नगर नियोजक (एमपी/एलपी/प्रोजेक्ट), जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

7. सहायक निदेशक जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस विज्ञप्ति को दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक विज्ञप्ति व मानचित्र को जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

21-2
उपायुक्त जोन-4
उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन-4 / 2022 / डी-

दिनांक

शाखा प्रबन्धक,

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org

